

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

16

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० खुशाल
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 64/2023

तमाचीखां पुत्र दुल्लाखां, गांव भंवरीसर, तहसील शिव, जिला बाडमेर, मो०न० 9530481692,
9461483163

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर), झुंझुनू एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड
अधिकारी) नवलगढ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील ।

आदेश

दिनांक 21.06.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.03.2023 को इस न्यायालय में ऑनलाईन प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 64/2023 पर दिनांक 29.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर), झुंझुनू एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर), झुंझुनू एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर), झुंझुनू एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2023/1209-11 दिनांक 29.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर), झुंझुनू ने अपने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय /सू०अ०/23/408 दिनांक 06.04.2023 द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी तमाची खां पुत्र दुल्ला खां, निवासी भंवरीसर, तहसील शिव, जिला बाडमेर का आवेदन दिनांक 02.02.2023 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4) (5)न्याय/सू०अ०/23/43 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुंझुनू को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी का यह अपील प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू०अ०/2023/189 दिनांक 19.06.2023 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 21.02.2023 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सू०अ०/23/156 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा प्रार्थी को 1 लगायत 6 बिन्दुओं की सूचना समय पर प्रेषित कर दी गई है। अतः आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर), झुंझुनू द्वारा अपने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/23/408 दिनांक 06.04.2023 द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी तमाची खां पुत्र दुल्ला खां, निवासी भंवरीसर, तहसील शिव, जिला बाडमेर का आवेदन दिनांक 02.02.2023 को


जिला कलक्टर झुंझुनू

17

प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16 (4) (5) न्याय/सू0अ0/23/43 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ़ ने पत्रांक सू0अ0/2023/189 दिनांक 19.06.2023 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 21.02.2023 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम में उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/23/156 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा प्रार्थी को 1 लगायत 6 बिन्दुओं की सूचना समय पर प्रेषित कर दी गई है। अतः आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (डॉ० खुशाल)
 जिला कलेक्टर, झुंझुनूं